ालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

सीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

ाद संख्या:– 178/प्रा0पत्र/2019

1. छोटूलाल आयु 65 वर्ष आ0 फता जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. संतोष बैवा बालू आयु 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सीताराम आयु 25 वर्ष आ0 बालू जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राधेश्याम आयु 20 वर्ष आ0 बालू जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र आयु 25 वर्ष आ0 लखमा जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. विनोद आयु 23 वर्ष आ0 लखमा जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. हंसा आयु 20 वर्ष पुत्री लखमा जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. कन्या आयु 40 वर्ष पत्नी लखमा जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव बैरवा का झोपडा, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 131 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26/02/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 71/888 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम धाबाईयों का नयागावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। ग्राम धाबाईयों के नयागांव में स्थित खसरा संख्या 888 जो एक बडा रकबा उक्त खसरा संख्या 888 में रास्ते के सहारे प्रार्थीगण गत 60 वर्षो से या अधिक अवधि से अपने मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। प्रार्थीगण ने अपने मकान परिसर में छायादार वृक्ष सफेदा, नीम, बबूल आदि के पैड लगा रखे है तथा जानवरो को बांधने के लिए छपर व टापे बना रखी है तथा मकान परिसर में अपने कृषि संसाधन टेक्ट्रर–ट्रॉली आदि खडा करते है सामान रखते आ रहे है।

पक्ष समर्थन स्वीकार है।

के मकानों के सामने रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के तहत सडक बना रखी प्रार्थीगण के मकान उक्त नरेगा की सडक व रास्ते के सहारे बने हुये है। प्रार्थीगण के मकानों के स्थान पर न तो प्रार्थीगण का कब्जा रहा ना ही कभी अप्रार्थीगण ने काश्त की है। अप्रार्थीगण के नाम भूमि खसरा संख्या 888 में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्ष 2008 में आंवटित हुई है जो कृषि हेतु आंवटित की हुई है। अप्रार्थीगण ने राजस्व पटवारी व कानूनगों से साठ–गांठ करके प्रार्थीगण के मकानों के स्थान पर अप्रार्थीगण की उक्त आंवटित भूमि की राजस्व नक्शा में खसर संख्या 1071/888 के रूप में गलत तरमीम करवा ली है जो अवैध व नियम के विरूद्व है। कानूनन तरमीम का आधार कब्जा होता है व कब्जे के मुताबिक ही तरमीम किये जाने के प्रावधान है लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि पर गलत रूप से बिना कब्जे के ही अपनी कृषि भूमि की तरमीम करवा ली है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि पर अपनी कृषि भूमि की तरमीम करवाकर प्रार्थीगण को मौके पर से मकान हटाने की दिनांक 15.12.2019 को धमकी दी ओर कहा कि तुम्हारे मकान की जगह हमारी खाते की भूमि की तरमीम करवा ली है। हम तुम्हारे मकानों से तुम्हे बेदखल करेगे ओर तुम्हारे मकानों की जगह कब्जा करेगे। उक्त धमकी देने पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की तो प्रथम बार राजस्व नक्शे में की गई उक्त गलत तरमीम के इन्द्राज की जानकारी हुई है। राजस्व नक्शें में की गई गलत तरमीम किस आदेश व किसके द्वारा की गई इस सम्बन्ध में राजस्व लटटा नक्शा पर न तो तरमीमकर्ता के हस्ताक्षर है ओर न ही तारीख अंकित है। जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त तरमीम बिना विधिक प्रकिया अपनाये नियम विरूद्व की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 888 में शेष भूमि अभी भी सिवायचक बची हुई होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने जानबूझकर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से उक्त गलत तरमीम कर इन्द्राज करवाया है। अप्रार्थीगण को जहां व काबिज है ओर जहां वह काश्त कर रहे है उसी स्थान पर अपनी भूमि की तरमीम करवानी चाहिये थी लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के मकानात की भूमि पर अर्थात वर्षो पूर्व से बने हुये प्रार्थीगण के मकानात की जगह पर तरमीम करवाकर अवैध कृत्य किया है ओर तरमीम कर गलत इन्द्राज करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तरमीम किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का व कानूनगों ने न तो भूमि की पैमाईश की है ओर न ही मौका निरीक्षण किया है ओर दफतर में बैठकर ही उक्त तरमीम का गलत इन्द्राज कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.12.2016 को प्रार्थीगण को मकानों पर से बेदखल करने की धमकी देने पर नक्शे की नकल प्राप्त करने के उपरान्त उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने से ज्ञान की तिथि से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कानूनन अवैध व नियम विरूद्व किये गये इन्द्राज को चैलेन्ज करने की कोई समय सीमा नही है। लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में उक्त गलत तरमीम को निरस्त करने हेतु 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन मानचित्र सम्बन्धि (तरमीम सम्बन्धि) संशोधन/निरस्ती बाबत प्रकरण धारा 131 एल0आर0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत नही किये जाने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सही प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति

मानचित्र में किये गये गलत इन्द्राज को निरस्त करने हेतु धारा 131 आर0एक्ट0 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के मकानात व आवासीय परिसर की भूमि खसरा संख्या 1071/888 के रूप में नक्शें में की गई तरमीम के इन्द्राज को निरस्त किया जावें साथ ही अप्रार्थीगण के कब्जे के बिना ही राजस्व नक्शें में किये गये उक्त गलत इन्द्राज में लिप्त दोषी कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से रेखा माहेश्वरी एडवोकेट द्वारा दिनांक 14.11.2019 को उपस्थिति दर्ज की गई थी परन्तु उनको पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकालत नामा/जवाब पेश नही किया गया है, तदुपरांत दिनांक 12.10.2020 को अप्रार्थीगण को न्यायहित में पुनः अन्तिम अवसर जवाब पेश करने हेतु दिया गया। उनके द्वारा इस अवसर के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर उनके विरूद्व दिनांक 16.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 888 प्रतिवादी महेन्द्र के नाम आंवटित हुआ था जिसके नये नम्बर 1071/888 पर अप्रार्थी ने अपनी तरमीम करवा ली है। आंवटित भूमि का सीमाकंन कब्जे/जहां आंवटन हुआ है, वहां पर तरमीम नही कर दूसरी जगह तरमीम करवा ली है। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 1071/888 की तरमीम जहां कटी हुई है, वहां पर रास्ते व आबादी 20–25 वर्ष पूर्व से बसी हुई है। उनका आंवटन वर्ष 2008 का है जबकि हमारे मकान उक्त खसरा नम्बर पर 20–25 वर्षो पूर्व से बने हुये है। इनकी तरमीम अवैध व शून्य प्रभावी है जिसे निरस्त किया जाकर उसके कब्जे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन कर वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार दबलाना की रिपोर्ट अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1071/888 ग्राम धाबाईयों का नयागांव की तरमीम वर्तमान में जहां अंकित है, वहां पर पुरातन रास्ते व आबादी बसी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1071/888 वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं अप्रार्थीगण की तरमीम उसके कब्जे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली